



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102024-258180
CG-DL-E-23102024-258180

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4260]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 23, 2024/कार्तिक 1, 1946

No. 4260]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 23, 2024/KARTIKA 1, 1946

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2024

का.आ. 4634(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और चिकित्सा वस्त्र (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार की राय है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात, इसके द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात्: -

- संक्षिप्त शीर्षक और शुरुआत- (1) इस आदेश को चिकित्सा वस्त्र (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 कहा जाएगा।
(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।
- अनुप्रयोग – यह आदेश उक्त अनुसूचियों के कॉलम (2) में निर्दिष्ट वस्तुओं या सामानों पर लागू होगा, परंतु निर्यात से संबंधित ऐसी वस्तुओं या सामानों और इस आदेश की अनुसूची 'क' में निर्दिष्ट वस्तुओं जो स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा निर्मित हैं, पर लागू नहीं होगा।

स्पष्टीकरण.— इस पैरा के प्रयोजन के लिए, स्वयं सहायता समूह का अर्थ 10 से 20 व्यक्तियों का छोटा अनौपचारिक समूह है, जो सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के संबंध में समरूप हैं और सदस्यों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने और समूह के सदस्यों के लाभ के लिए संसाधनों को जुटाने और प्रबंध करने के सामान्य उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से एक साथ आते हैं और पहाड़ी इलाकों या क्षेत्रों और मुख्य रूप से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जहां समुदाय बिखरे हुए हैं, न्यूनतम पांच सदस्यों के छोटे समूहों को भी स्वयं सहायता समूहों में गठित होते हैं।

3. **मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग-** उक्त अनुसूचियों के कॉलम (2) में निर्दिष्ट माल या वस्तु उसके कॉलम (3) में निर्दिष्ट समान भारतीय मानक के अनुरूप होगी और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो से लाइसेंस के तहत मानक चिह्न धारण करेगी।
4. **प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी-** भारतीय मानक ब्यूरो और वस्त्र समिति, वस्त्र मंत्रालय उक्त अनुसूचियों के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तु के संबंध में प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होंगे।

अनुसूची 'क'

क्र. सं.	सामान या वस्तु	भारतीय मानक (आईएस)	भारतीय मानक का शीर्षक	कार्यान्वयन की समय-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सैनिटरी नैपकिन	आईएस 5405:2019	सैनिटरी नैपकिन - विशिष्टता (दूसरा संशोधन)	1 जनवरी 2025
2	बच्चों का डायपर	आईएस 17509:2021	डिस्पोजेबल बेबी डायपर - विशिष्टता	
3	पुनः प्रयोज्य सैनिटरी पैड सैनिटरी नैपकिन पीरियड पैंटी	आईएस 17514:2021	पुनः प्रयोज्य सैनिटरी पैड/ सैनिटरी नैपकिन/पीरियड पैंटी - विशिष्टता	

अनुसूची 'ख'

क्र. सं.	सामान या वस्तु	भारतीय मानक (आईएस)	भारतीय मानक का शीर्षक	कार्यान्वयन की समयसीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	जूता कवर	आईएस 17349:2020	चिकित्सा वस्त्र - जूता कवर - विशिष्टता	1 अप्रैल, 2024
2	डेंटल बिब/नैपकिन	आईएस 17354:2020	चिकित्सा वस्त्र - दंत बिब या नैपकिन - विशिष्टता	
3	बेडशीट और तकिया कवर	आईएस 17630:2021	मेडिकल टेक्सटाइल्स - बेडशीट और तकिया कवर - विशिष्टता	

नोट: अनुसूची 'क' और अनुसूची 'ख' के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 2 के खंड (17) के प्रावधानों के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर स्थापित और प्रकाशित भारतीय मानकों का नवीनतम संस्करण ऐसे प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

[फा. सं. 6/1/2021-आर एंड डी(भाग 4)]

राजीव सक्सेना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 23rd October, 2024

S.O. 4634(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) and in supersession of the Medical Textiles (Quality Control) Order, 2023, the Central Government is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order, namely: -

- Short title and commencement** – (1) This Order may be called the Medical Textiles (Quality Control) Order, 2024.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- Application** – This Order shall apply to the goods or articles specified in column (2) of the said Schedules, but shall not apply to such goods or article meant for export and items specified in Schedule-A to this order that are manufactured by self help groups.
Explanation — For the purpose of this para, self help groups means small informal group of 10 to 20 individuals, who are homogenous with respect to social and economic background and come together voluntarily for promoting savings habit among members and for a common cause to raise and manage resources for the benefit of group members and in hilly tracts or regions and predominantly tribal dominated areas where communities are dispersed, smaller groups of minimum five members are also formed into self help groups.
- Compulsory use of Standard Mark** – The goods or article specified in column (2) of the said Schedules shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (3) thereof and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau in accordance with Scheme-I of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.
- Certification and enforcement authority** – The Bureau of Indian Standards and the Textiles Committee, Ministry of Textiles shall be the certifying and enforcing authority in respect of the goods or article specified in column (2) of the said Schedules.

SCHEDULE A

Sl. No.	Goods or article	Indian Standard (IS)	Title of Indian Standard	Timeline for implementation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sanitary napkins	IS 5405:2019	Sanitary napkins - Specification (second revision)	1 st January 2025.
2	Baby Diaper	IS 17509:2021	Disposable baby diaper - Specification	
3	Reusable Sanitary Pad Sanitary Napkin Period Panties	IS 17514:2021	Reusable sanitary pad/ sanitary napkin/ period panties - Specification	

SCHEDULE B

Sl. No.	Goods or article	Indian Standard (IS)	Title of Indian Standard	Timeline for implementation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Shoe covers	IS 17349:2020	Medical textiles - Shoe covers - Specification	1 st April, 2024.
2	Dental bib/Napkins	IS 17354:2020	Medical textiles - Dental Bib or Napkins - Specification	
3	Bedsheet and Pillow Cover	IS 17630:2021	Medical Textiles - Bed sheet and pillow cover - Specification	

Note: For the purposes of the Schedule A and Schedule B, it is clarified that the latest version of Indian Standards established and published by the Bureau of Indian Standards from time to time in accordance with the provisions of clause (17) of section 2 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), shall apply from the date of such publication.

[F. No. 6/1/2021-R&D(Pt.4)]
RAJEEV SAXENA, Jt. Secy.